

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 153 / FP/UK/ROAD/39349/2019 देहरादून: दिनांक: 16 जुलाई, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-07 (पुराना एन०एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को हस्तान्तरण।

(Online file no - FP/UK/ROAD/39349/2019)

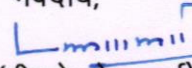
महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु MORTH (NHIDCL) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 40.8916 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(डी०जे०के० शर्मा) 16/7/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/39349/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ, वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. महाप्रबन्धक परियोजना, NHIDCL लेन न०-1 अपर भक्तियाना, पौड़ी रोड़, श्रीनगर गढ़वाल।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०७ (पुराना एन०एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ४०.८९१६ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को हस्तान्तरण।

(Online file no - FP/UK/ROAD/39349/2019)

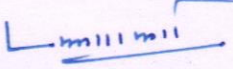
टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

जनपद-चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०७ (पुराना एन०एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ४०.८९१६ हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में ३१.८९४७ हे० सिविल सोयम भूमि, ६.६ हे० पंचायत वन भूमि एवं २.३९६९ आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ४०.८९१६ हे० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:



(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

(डी०जे०के० शर्मा)

सरकारी मोहर:

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ०डी०)
उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : १६/०७/२०२०

स्थान : देहरादून